भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3982

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

3982. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि क्या वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरंभ किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण से गरीब उच्च जाति के परिवारों को वास्तव में लाभ हुआ है और लक्षित समूहों के बीच आर्थिक असमानताएं कम हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने और स्वतंत्र मूल्यांकन को करने के लिए जाति, आय, क्षेत्र और राज्य के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के संबंध में विस्तृत अलग-अलग आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं या प्रकाशित किए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये मानदंड वर्तमान आर्थिक संदर्भ में प्रासंगिक और निष्पक्ष बने रहें, ऐसे परिवारों की आय सीमा आठ लाख तय करने और परिसंपत्ति मानदंड की समीक्षा करने और उन्हें पुन: तैयार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों, विशेषकर उच्च जाति के समुदायों के बीच सामाजिक-आर्थिक परिणामों की निगरानी और समय-समय पर मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत समान वितरण सुनिश्चित करने, लाभ के दुरुपयोग को रोकने और आर्थिक न्याय के लक्ष्यों के साथ नीति को बेहतर ढंग से सुयोजित करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण, लेखापरीक्षा या उप-वर्गीकरण जैसे सुधारों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्तियों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है जो भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती और केंद्र सरकार के शैक्षणिक

संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को ईडब्ल्यूएस के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को नामित करना अपेक्षित है। संपर्क अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है कि आरक्षण से संबंधित अनुदेशों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से कार्यान्वित किया जाए।

(ग) से (ङ): इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
